उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,देहरादून।

'वित्त समिति' की पंचम बैठक कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 12.05.09 पूर्वाह्न 11.00 बजे सचिव तकनीकी शिक्षा,उत्तराखण्ड शासन के सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित की गयी बैठक मे उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1–प्रो0 डी0एस0चौहान, कुलपति उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, अध्यक्ष.
2–प्रो0 एच0सी0नैनवाल, प्रति कुलपति उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, सदस्य
3–श्री राकेश शर्मा, सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन। सदस्य.
4–श्री आर0सी0 शर्मा,संयुक्त सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन। सदस्य
5–डॉ मृत्युंजय कुमार मिश्रा, कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, सदस्य
6–श्री भूपेश चन्द्र तिवारी, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, सदस्य

बैठक में निम्नानुसार निर्णय/विनिश्चय लिये गये :–

एजेण्डा बिन्दु – 01

दिनांक 19.02.2009 को आयोजित /सम्पन्न वित्त समिति की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

दिनांक 19.02.2009 को आयोजित /सम्पन्न वित्त समिति की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दु – 02

दिनांक 19.02.2009 को सम्पन्न वित्त समिति की चतुर्थ के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही:–

वित्त समिति की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त पर की गयी कार्यवाही को वित्त समिति के सदस्यों द्वारा संज्ञान में लिया गया तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

(I) ए,12– सरस्वती विहार लोअर अधोईवाला पूर्व में किराये पर लिया गया भवन तथा सी,15 सैक्टर, 1 डिफेन्स कॉलोनी पो0 डिफेन्स कॉलोनी देहरादून, के सम्बन्ध मे यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय उक्त दोनो भवनो को अधिकतम 30 जून 2009 तक अपने कब्जे में रखेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय को राजकीय महिला पॉलिटॉक्निक, सुद्धोवाला के निकट स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। सरस्वती बिहार लोअर अधोईवाला,देहरादून, एवं सी,15 सैक्टर, 1 डिफेन्स कॉलोनी, पो0ओ0 डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून, में चल रही गतिविधियों को शासन द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे भवन में स्थानान्तरित किया जाना है । विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की गयी कि वह उपरोक्त स्थान उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी एक प्रस्ताव शीघ्र ही शासन को प्रेषित कर दे।

यह भी निर्णय लिया गया कि सुद्धोवाला में विश्वविद्यालय को शासन द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भवन /स्थान की आन्तरिक साज–सज्जा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधनो से नियमानुसार की जायेगी। शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु कोई धनराशि उपलब्ध नही करायी जायेगी।

(II) तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अर्न्तगत धनराशि प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।

<u>एजेण्डा बिन्दु – 03</u>

विश्वविद्यालय कार्यालय हेतु एक अतिरिक्त भवन किराये पर लिये जाने की कार्येत्तर स्वीकृति ।

विश्वविद्यालय द्वारा 274– फेज, 1 स्थित भवन को 1 अप्रैल 2009 से किराये लिये जाने के सम्बन्ध में वित्त समिति द्वारा कार्येत्तर संस्तुति प्रदान की गयी। तथा यह निर्णय लिया गया कि इसी भवन में विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासनिक विभाग स्थानान्तरित कर दिया जाये।

भवन की आन्तरिक साज –सज्जा के सम्बन्ध में वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप आवश्यक सामग्री का क्रय करेगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि पूर्व में उपलब्ध फर्नीचर इत्यादि का समुचित उपयोग हो।

वित्त समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ऐसी सामग्री का क्रय किया जाये जिसे बाद में नये भवन में आसानी से स्थानान्तरित किया जा सके।

<u>एजेण्डा बिन्दु – 04</u>

डाटा सेन्टर हेतु क्रय की गयी साज–सज्जा की कार्येत्तर स्वीकृति।

प्रकरण पर कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>एजेण्डा बिन्दु – 05</u>

कुलपति निवास /कैम्पकार्यालय /अतिथिगृह हेतु क्रय की गयी साज –सज्जा की कार्येत्तर स्वीकृति पर विचार।

प्रकरण पर कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्त समिति द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से यह भी अपेक्षा की गयी कि विश्वविद्यालय यह भी सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा पूर्व में खरीदे गये सामान का समुचित उपयोग किया जा रहा है ।

एजेण्डा बिन्दु – 06

वर्ष 2009–10 हेतु अनुमानित आय–व्ययक की स्वीकृति पर विचार।

विश्वविद्यालय के वर्ष 2009–10 हेतु प्रस्तुत किये गये आय –व्ययक का वित्त समिति द्वारा अनुमोदन किया गया तथा यह भी अपेक्षा की गयी कि इस आय–व्ययक में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा अन्य विभागों के अनुरोध पर की जा रही परीक्षाओं से सम्बन्धित वास्तविक आय तथा व्यय को भी सम्मलित कर लिया जाये ।

एजेण्डा बिन्दु – 07

वर्ष 2009–10 में काउन्सिलिंग शुल्क दरों में पुनरीक्षण पर विचार।

वित्त समिति द्वारा काउन्सिलिंग फीस को निम्नानुसार संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी:–

वर्ग	काउन्सिलिंग फीस		अग्रिम फीस	
	वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
सामान्य / अन्य पिछडा वर्ग	600	1000	5000	5000 (कोई परिवर्तन नहीं)
एस0सी0 / एस0टी0	600	1000	2000	2000 (कोई परिवर्तन नहीं)

एजेण्डा बिन्दु – 08

ऑन लाइन काउन्सिलिंग के विरोध में उत्तराखण्ड तकनीकी संस्थाओं के संघ द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पत्र पर विचार।

वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष ऑन लाइन काउन्सिलिंग के स्थान पर विकेन्द्रीकृत (Decentralised) काउन्सिलिंग की व्यवस्था की जायेगी। पिछले वर्षो के अनुभव के आधार पर तथा विभिन्न अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर अभ्यर्थियों को उनके निकटस्थ स्थान पर काउन्सिलिंग देने के उद्देश्य से व्यवस्था की जा रही है इस कार्य को आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवाया जायेगा। कार्य आबंटित करने के लिये उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट नियमावली 08 तथा अन्य सुसंगत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुयी ।

उपरोक्तानुसार वित्त समिति की बैठक में लिए गये निर्णय अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है

कुलपति

VC

12/5/09

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
वित्त नियंत्रक